

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक: 2009 भा. 2009 विधायक श्रीमती रीती पाठक
 प्रश्न सं. [क. 2009]
 जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाएं

क्र.	अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाएं	विवरण
1	समेकित छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 8	लोक शिक्षण विभाग के सहयोग से संचालित
2	केन्द्र प्रवर्तित पी मैट्रिक छात्रवृत्ति 9वीं, 10वीं	वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख तक के अभ्यर्थियों हेतु
3	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं, 10वीं	वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख से अधिक के अभ्यर्थियों हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदाय
4	केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन	वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख तक के अभ्यर्थियों हेतु
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन	वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख से अधिक के अभ्यर्थियों हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदाय
6	अनु. जनजाति विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय
7	जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु लोक सेवा प्रबंधन को आवंटन	अनु. जनजाति विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु लोक सेवा प्रबंधन को आवंटन
8	कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हेतु मण्डल को शुल्क प्रतिपूर्ति
9	छात्रावास संचालन	कक्षा 6 से महाविद्यालयीन कक्षाओं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क भेस एवं आवासीय सुविधा
10	आश्रम शाला संचालन	कक्षा 1 से 08 तक विद्यार्थियों हेतु आवासीय शाला संचालन
11	आवास सहायता योजना	गृह निवास स्थान से बाहर अध्ययनरत महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों जिन्हें छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है उन्हें किराये के आवास की प्रतिपूर्ति हेतु आवास योजना संचालित है।
12	आकांक्षा योजना	JEE एवं NEET परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग सुविधा
13	दिल्ली कोचिंग	दिल्ली में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम अवधि में आवासीय व्यवस्था हेतु राशि प्रदाय
14	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि
15	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना	बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदाय
16	सैनिक स्कूल में शुल्क प्रतिपूर्ति	सैनिक स्कूल रीवा में जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण शिक्षण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
17	प्रतिभा योजना	JEE, NEET, NIT, AIMS, CLAT, NDA, FDDI, NIFT एवं IIM के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य, मध्य प्रदेश

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2009 माननीय विधायक

श्रीमती रीता पाठक

प्रश्नांश "क" की जानकारी परिशिष्ट - "ब"

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

सं-क्र-	योजना का नाम
1	3
1	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)
2	विविध छात्रवृत्तियां (0103) कक्षा 9 से 10
3	अस्वच्छ घंघें में लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति
4	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति
5	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र
6	विद्यार्थी कल्याण
7	सीनियर छात्रावास
8	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास
9	अनुसूचित जाति छात्रावास
10	एकीकृत छात्रावास योजना
11	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार
12	छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 6 से 10)
13	साइकिलों का प्रदाय
14	अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता
15	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन
16	म.प्र. महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन
17	डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार
18	सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति
19	छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक
20	शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना
21	वेदिशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति
22	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन (कक्षा 9वीं)
23	11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु)
24	खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय


 अवर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 जनजातीय कार्य विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2009 माननीय विधायक श्रीमती रीती पाठक के प्रश्नांश "घ" का अनु. जाति का उत्तर निम्नानुसार है

क्र.	योजना का नाम	आय सीमा
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रवर्तित	2.50 लाख से कम आय वर्ग हेतु
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य पोषित	निजि संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 2.50 लाख से 8.0 लाख तक आय सीमा का बंधन है तथा शासकीय संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है।
3	आवास सहायता योजना राज्य पोषित	निजि संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 2.50 लाख से 8.0 लाख तक आय सीमा का बंधन है तथा शासकीय संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है।
4	अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास योजना	आय सीमा का बंधन नहीं है।



अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय भोपाल